25-11-2020- बजे 1430

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन के दौरान वक्तव्य

आज भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट सभा में उपस्थित होने पर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

पिछला सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया था। आज हम पुन: मां नर्मदा के किनारे गुजरात की पावन भूमि केवड़िया में एकत्रित हैं।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आरंभ वर्ष 1921 में शिमला में हुआ था। यह प्रतिष्ठित मंच अपने शताब्दी वर्ष में है।

पिछले सम्मेलन में 4 समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों को विधायी सचिवालयों की वित्तीय स्वायत्तता, संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों की शक्तियां, विधायी संस्थाओं मे सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा सभा के सुचारु संचालन के संबंध मे परीक्षण का दायित्व दिया गया था। सभी समितियां अपना कार्य कर रही हैं और आशा है कि इनके प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे।

संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कान्फ्रेंस का विषय '**सशक्त लोकतन्त्र हेतु विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आदर्श समन्वय'** आज के परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अपनी शक्तियां तथा क्षेत्राधिकार संविधान से प्राप्त करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों में उनके कार्यक्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा मतान्तर की स्थिति में समाधान भी बताए गए हैं।

नागरिकों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आदर्श समन्वय अनिवार्य है। प्रत्येक अंग को एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का ध्यान रखते हुए आपसी विश्वास और सौहार्द के साथ कार्य करना चाहिए|

मुझे आशा है कि इस सम्मेलन के दौरान इस विषय पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा तथा यहाँ लिए गए निर्णयों से एक नई दिशा मिलेगी।

सभी प्रतिनिधियों की ओर से मैं केवडिया में इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी और गुजरात विधान सभा के माननीय अध्यक्ष का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मुझे आशा है कि भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन संवैधानिक वार्ता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।